

दिनांक 31.12.2019 को दोपहर: 01:15 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की सौलहवीं बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री महेश कुमार, नगराधीश, रोहतक।
2. श्री राकेश कुमार, उपमण्डल अधिकारी (सिविल)-कम-संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री कृष्ण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
4. श्री रणजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
5. श्रीमती सुमन लता, कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
6. श्री आशिष कुमार, सचिव, सांपला।
7. श्री निजेश कुमार, नगर अभियन्ता, महम।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए दिनांक 26.12.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की प्रगति की समीक्षा की गई:-

1. बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित पन्द्रह बैठक आयोजित की जा चुकी है:-
 1. दिनांक 12.04.2019
 2. दिनांक 29.04.2019
 3. दिनांक 09.05.2019
 4. दिनांक 28.05.2019
 5. दिनांक 18.06.2019
 6. दिनांक 08.07.2019
 7. दिनांक 26.07.2019
 8. दिनांक 05.08.2019
 9. दिनांक 21.08.2019
 10. दिनांक 20.11.2019
 11. दिनांक 20.11.2019
 12. दिनांक 20.11.2019
 13. दिनांक 19.12.2019
 14. दिनांक 20.12.2019
 15. दिनांक 26.12.2019
2. बैठक के दौरान नगर निगम, रोहतक द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर निगम रोहतक द्वारा Plastic Waste Recycler (Green Planet Waste Management Pvt. Ltd.) व E-Waste Recycler (M/s Deshwal Waste Management Pvt. Ltd.) को रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जोकि नगर निगम क्षेत्र से प्लास्टिक वेस्ट तथा ई-वेस्ट को लेकर उसका निष्पादन कर रहे है।
3. उपायुक्त, रोहतक ने समीक्षा के दौरान सचिव, नगर पालिका सांपला, कलानौर व महम निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:-
 - i. माननीय NGT व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आदेशों की पालना में सभी पैरामीटर की 100% Compliance सुनिश्चित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 03.01.2020 तक उपलब्ध करवाए।
 - ii. Garbage vulnerable Points को चिन्हित कर, उन्हें समाप्त करते हुए रिपोर्ट भिजवाए।

- iii. नगर निगम रोहतक द्वारा गीले कूड़े को 100% Process किया जा रहा है जबकि कलानौर, महम तथा सांपला द्वारा गीला कूड़ा Process नहीं किया जा रहा है। इसलिए जनवरी 2020 तक गीले कूड़े को Process करने के लिए निर्देश दिये।
 - iv. सचिव, नगर पालिका सांपला, कलानौर व महम को Source Segregation प्रमाणित करते हुए अपनी-अपनी रिपोर्ट 03 जनवरी 2020 तक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये।
 - v. नगर निगम रोहतक की तर्ज पर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर निष्पादन करने वाली एजेंसी से सम्पर्क स्थापित करते हुए पंजीकरण हेतु सचिव नगर पालिका सांपला, कलानौर व महम को निर्देश दिये।
4. कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि वे पीर भौदी STP से सिंहपुरा STP तक सीवरेज का पानी ले जाने के लिए Short Term Measure में प्रांकलन जो उन द्वारा सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा है, उसके संदर्भ में उपायुक्त रोहतक से अर्ध-सरकारी पत्र लिखवाना व आवश्यक कार्रवाई करते हुए युमना एक्शन प्लान में भी समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति लेना सुनिश्चित करेंगे।
5. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक HSPCB/Aircell/2019/3698 दिनांक 13.12.2019 द्वारा District Environment Plan बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें HSVP, PHED, Forest, PGIMS, MDU, ULBs, Industries -Department, HSIIDC सभी द्वारा अपना-अपना Environment Plan तैयार करके देना है। उपायुक्त रोहतक ने इसके लिए नगराधीश, रोहतक को नोडल आफिसर नियुक्त करते हुए सभी सम्बन्धित विभागों को अपनी-अपनी एक्शन प्लान दिनांक 06.01.2020 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक 50-76/क-133/LFA

दिनांक 1/1/2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डायो सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, हरियाणा परिवहन विभाग, रोहतक।
15. GM, HSIIDC, Rohtak.
16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।

17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
21. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
24. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
26. सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ० क्रमांक 77-84/पं-133/LFA

दिनांक

1/1/2020

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।